रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29112024-259032
CG-MH-E-29112024-259032

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 957] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2024/अग्रहायण 8, 1946
No. 957] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2024/AGRAHAYANA 8, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 29 नवम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2024

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/214.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 में,-

I. विनियम 6 में,

(i) शब्दों "कोई प्रमाणपत्र देने पर विचार करने के लिए" के स्थान पर शब्द "उन" आ जाएगा;

(ii) शब्दों "से संबंधित क्रियाकलाप से सुसंगत हैं" के स्थान पर शब्द "के तौर पर कार्य करने से जुड़े हुए हों" आ जाएँगे;

(iii) शब्दों "विशेष रूप से यह कि आवेदक निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन करता है" के स्थान पर शब्द "इस पर भी खासा ध्यान देगा कि आवेदक निम्नलिखित अपेक्षाओं पर खरा उतरता है या नहीं" आ जाएँगे;

(iv) मौजूदा खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) आवेदक के यहाँ कम से कम दो ऐसे व्यक्ति कार्य कर रहे हों, जिनके पास सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से वित्त या विधि या अकाउंटेंसी या बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में व्यावसायिक योग्यता हो या फिर जिनके पास किसी दूसरे देश के विश्वविद्यालय या संस्था से वित्त या विधि या अकाउंटेंसी या बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र की मान्यताप्राप्त डिग्री हो;"

(v) खंड (छ) हट जाएगा;

(vi) खंड (कक) में दिए हुए शब्द तथा चिह्न "है;" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "हो;" आ जाएँगे, खंड (ङ) में शब्दों "नहीं है" के स्थान पर शब्द "न हो" आ जाएँगे तथा शब्दों "पड़ता है" के स्थान पर शब्द "पड़ता हो" आ जाएँगे और खंड (च) में शब्दों "सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतवर्लित है या किसी आर्थिक अपराध का दोषी नहीं पाया गया है" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "किसी अपराध (जिसमें ऐसा कोई कार्य करना भी शामिल है जो नैतिक रूप से सही न हो) का दोषी न ठहराया गया हो या किसी आर्थिक अपराध का दोषी न पाया गया हो" आ जाएँगे ।

II. विनियम 9क में, उप-विनियम (1) में,-

(i) खंड (ग) में,-

क. शब्द "विनिधानकर्ताओं" के स्थान पर शब्द "निवेशकों" आ जाएगा;

ख. शब्दों "की प्राप्ति की तारीख के" के स्थान पर शब्द "प्राप्त होने की तारीख से" आ जाएँगे;

ग. शब्दों तथा चिह्न "पर्याप्त कदम उठायेगा और प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्वरूप तथा अन्य विशिष्टियों के बारे में बोर्ड को सूचित रखेगा" के स्थान पर शब्द "सभी कदम उठाएगा" आ जाएँगे;

(ii) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(च) रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करते समय प्रस्तुत की गई जानकारी में यदि कोई बदलाव हो जाए, तो वह ऐसे किसी बदलाव के ब्यौरे ऐसा कोई बदलाव होने की तारीख से सात कार्य-दिवसों के भीतर बोर्ड को देगा ।"

III. विनियम 13क में,-

(i) शब्दों तथा चिह्नों "से पूर्व, प्रतिभूति बाजार के उस से भिन्न कारोबार की बाबत संविदा की हो, यदि वह ऐसी वांछा करता है, ऐसी संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं का निर्वहन कर सकेगा" के

स्थान पर शब्द तथा चिह्न "से पहले, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से भिन्न किसी दूसरे कारोबार के संबंध में कोई करार आदि किया हो, यदि चाहे तो उस करार आदि के अनुसार अपनी बाध्यताएँ पूरी करना जारी रख सकेगा" आ जाएँगे;

(ii) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक आ जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि जिस मर्चेंट बैंकर को इन विनियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, वह यह सुनिश्चित करेगा कि मार्केट मेकिंग भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार की जाए ।";

(iii) स्पष्टीकरण के खंड (ii) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों "कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क के अधीन निबंधन में नियत है" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (72) में इसके लिए दिया हुआ है" आ जाएँगे ।

IV. मौजूदा विनियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) की जिम्मेदारियाँ

20. कोई भी अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) तब तक किसी निर्गम (इश्यू / निर्गमन) का प्रबंधन करने या उससे जुड़ने के लिए सहमत नहीं होगा, जब तक कि उस निर्गम से संबंधित उसकी जिम्मेदारियों [खासकर जो जानकारी देने (डिस्क्लोज़र करने) से संबंधित हों, आबंटन (अलॉटमेंट) से संबंधित हों और पैसा लौटाने (रिफंड) से संबंधित हों] का साफ-साफ उल्लेख न कर दिया जाए, वे जिम्मेदारियाँ सौंप न दी जाएँ और उनका निर्धारण न कर दिया जाए, और साथ ही उन जिम्मेदारियों का साफ-साफ जिक्र प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में न कर दिया जाए:

परंतु यह कि, जहाँ किसी निर्गम (इश्यू) के मामले में लीड (अग्रणी) मर्चेंट बैंकरों (बैंककारों) की संख्या एक से अधिक हो, वहाँ प्रत्येक लीड मर्चेंट बैंकर की जिम्मेदारियों का साफ-साफ उल्लेख कर दिया जाए, और साथ ही उन जिम्मेदारियों का साफ-साफ जिक्र प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज और प्रस्ताव दस्तावेज में कर दिया जाए ।"

V. विनियम 21क में,-

(i) शीर्षक में, शब्दों "ऐसी हैसियत से सहयुक्त करना" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "अपने किसी सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट)" आ जाएँगे;

(ii) मौजूदा उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, लेकिन उसका परंतुक और स्पष्टीकरण वही रहेगा, अर्थात्,-

"यदि मर्चेंट बैंकर बोर्ड द्वारा बनाए गए किन्हीं विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के अनुसार प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के किसी इश्युअर (निर्गमकर्ता) का या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की बिक्री या खरीद का प्रस्ताव (ऑफर) लाने वाले किसी व्यक्ति का संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) हो, तो वह बोर्ड द्वारा बनाए गए किन्हीं विनियमों के तहत उस इश्युअर या व्यक्ति द्वारा लाए जाने वाले किसी निर्गम (इश्यू) के न तो अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) के तौर पर कार्य करेगा और न ही उसके द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य से जुड़ेगा:";

(iii) उप-विनियम (1) के परंतुक में, शब्दों तथा चिह्न "परंतु यह कि मर्चेंट बैंककार जो ऐसे निर्गमकर्ता या व्यक्ति का सहयुक्त है को नियुक्त किया जा सकेगा, यदि वह केवल निर्गम या प्रस्ताव के विपणन में अंतर्वलित है" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "परंतु यह कि जो मर्चेंट बैंकर ऐसे इश्युअर या व्यक्ति का सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) हो, उसकी नियुक्ति केवल तभी की जा सकेगी, जब वह उस निर्गम (इश्यू) या प्रस्ताव (ऑफर) का केवल मार्केटिंग संबंधी कार्य कर रहा हो" आ जाएँगे ।

(iv) उप-विनियम (1) के स्पष्टीकरण में,-

क. शब्द "प्रयोजनों के लिए" के स्थान पर शब्द "प्रयोजनार्थ" आ जाएगा;

ख. खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,

"(iii) यदि कोई निदेशक –

(क) इश्युअर का भी निदेशक हो और मर्चेंट बैंकर का भी; या

(ख) इश्युअर की सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सीडियरी) या होल्डिंग कंपनी (नियंत्री / धारिता कंपनी) का भी निदेशक हो और मर्चेंट बैंकर का भी:

परंतु यह कि यह खंड वहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ संबंधित निदेशक एक नॉमिनी (नामिती) निदेशक हो:

परंतु यह और कि यह खंड वहाँ भी लागू नहीं होगा, जहाँ संबंधित निदेशक एक स्वतंत्र निदेशक हो, बशर्ते कि वह स्वतंत्र निदेशक उस निर्गम (इश्यू) के मामले में इश्युअर और मर्चेंट बैंकर, दोनों के बोर्ड से खुद को अलग कर ले।"

VI. विनियम 22ख में, मौजूदा उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(3) यदि हामीदारी करने के लिए किए गए करार (अंडरराइटिंग एग्रीमेंट) में किए गए प्रावधान के अनुसार किसी मर्चेंट बैंकर के लिए किसी कंपनी (बॉडी कारपोरेट) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाना (में अभिदान / को सब्सक्राइब करना) जरूरी हो जाए, तो ऐसे में उसे आबंटन (अलॉटमेंट) के आधार को अंतिम रूप दिए जाने से पहले उन प्रतिभूतियों में पैसा लगाना होगा (को सब्सक्राइब करना होगा) ।"

VII. मौजूदा विनियम 27 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"27. मर्चेंट बैंकर जिस कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के निर्गम (इश्यू) का प्रबंधन कर रहा हो, वह उस कंपनी (बॉडी कारपोरेट) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के अर्जन के संबंध में किए गए लेनदेन (ट्रांजैक्शन) के पूरे ब्यौरे बोर्ड के पास, वह लेनदेन होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के अनुसार, हामीदारी करने (अंडरराइटिंग) या मार्केट मेकिंग से संबंधित अपनी बाध्यताएँ पूरी करने के लिए प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के अर्जन हेतु जो लेनदेन (ट्रांजैक्शन) किए जाएँ उनके पूरे ब्यौरे बोर्ड के पास तिमाही आधार पर किए जाएंगे ।"

VIII. विनियम 28 में, उप-विनियम (1) में,

(i) खंड (i) में, शब्दों "निर्गमन के प्रबंध की बाबत अपने उत्तरदायित्व" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "निर्गम (इश्यू) का प्रबंधन करने संबंधी अपनी जिम्मेदारियों की जानकारी" आ जाएँगे और खंड (v) में, शब्दों तथा चिह्नों "किसी निर्गमन के, यथास्थिति, प्रबंधक निम्नांक परामर्शी या सलाहकार के रूप में अपने क्रिया-कलाप से संबंधित" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "किसी निर्गम (इश्यू) के, यथास्थिति, प्रबंधक, हामीदार, परामर्शदाता या सलाहकार के रूप में किए जाने वाले अपने कार्यों की जानकारी" आ जाएँगे;

(ii) खंड (iii) में, शब्दों तथा चिह्नों "उस निगमित निकाय के नाम जिसके निर्गमनों का उसने प्रबंध किया है या जिनके साथ वह सहयुक्त रहा है" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "उस कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के नाम, जिनके निर्गमों (इश्यूज़) का उसने प्रबंधन किया हो या जिसके निर्गमों (इश्यूज़) से वह जुड़ा रहा हो" आ जाएँगे ।

IX. विनियम 30 में, उप-विनियम (3) में, शब्दों तथा अंक "निरीक्षण के अनुक्रम में वह मर्चेंट बैंककार जिसके विरुद्ध निरीक्षण किया जा रहा है विनियम 31 के अधीन यथा उपबंधित अपनी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए आबद्ध होगा" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "जिस मर्चेंट बैंकर का निरीक्षण किया जा रहा हो वह, निरीक्षण के दौरान, विनियम 31 के अनुसार अपनी बाध्यताएँ पूरी करने के लिए बाध्य रहेगा" आ जाएँगे ।

X. विनियम 31 में,

(i) उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिह्नों "मर्चेंट बैंककार के, जिसका निरीक्षण किया जा रहा है, प्रत्येक निदेशक, स्वत्वधारी, भागीदार, अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अभिरक्षा और नियंत्रण में ऐसी बहियां, लेखा और अन्य दस्तावेज निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष पेश करे और मर्चेंट बैंककार के रूप में अपने क्रियाकलाप से संबंधित विवरण और जानकारी उसके समक्ष ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करे जिसकी निरीक्षण अधिकारी अपेक्षा करे" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "जिस मर्चेंट बैंकर का निरीक्षण किया जा रहा हो, उसके प्रत्येक निदेशक (डायरेक्टर), प्रोप्राइटर, भागीदार, अधिकारी तथा कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष ऐसी बहियाँ, ऐसे लेखे तथा अन्य दस्तावेज पेश करे जो उसकी कस्टडी (अभिरक्षा) या नियंत्रण में हों और मर्चेंट बैंकर के रूप में की जा रही अपनी गतिविधियों से संबंधित विवरण तथा जानकारी निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उतने समय के भीतर प्रस्तुत करे जितने समय के भीतर निरीक्षण प्राधिकारी प्रस्तुत करने को कहे" आ जाएँगे ।

(ii) उप-विनियम (2) में, शब्दों तथा चिह्नों "मर्चेंट बैंककार ऐसे मर्चेंट बैंककार के या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के अधिभोग में परिसरों तक निरीक्षण प्राधिकारी को युक्तियुक्त पहुँच रखने की अनुज्ञा देगा और मर्चेंट बैंककार या किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में ऐसी किन्हीं बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कंप्यूटर डाटा का निरीक्षण करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा भी प्रदान करेगा तथा दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां भी देगा जो निरीक्षण प्राधिकारी की राय में निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हैं" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "मर्चेंट बैंकर निरीक्षण प्राधिकारी को उस परिसर में आने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करेगा, जिसका कब्जा उस मर्चेंट बैंकर या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के पास हो, और मर्चेंट बैंकर या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के पास जो बहियाँ, रिकॉर्ड, दस्तावेज तथा कंप्यूटर डाटा हो उनकी जाँच-पड़ताल करने हेतु यथोचित सुविधा भी प्रदान करेगा, और उन दस्तावेजों की प्रतियाँ या अन्य सामग्री भी प्रदान करेगा जो निरीक्षण प्राधिकारी की राय में निरीक्षण करने के लिए जरूरी हों" आ जाएँगे ।

XI. विनियम 34 में,

क. शीर्षक में, शब्दों "लेखा परीक्षक" के स्थान पर शब्द "लेखापरीक्षक" आ जाएगा;

ख. उसके स्पष्टीकरण में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों "इस विनियम के प्रयोजनों के लिए "अर्ह लेखापरीक्षक" पद का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 में दिया गया है" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "इस विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों "अर्हित लेखापरीक्षक" (अर्ह लेखापरीक्षक) का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 में इसके लिए दिया हुआ है" आ जाएँगे ।

XII. अनुसूची-III में,

(i) खंड (23) में, उप-खंड (क) में शब्दों तथा चिह्नों "मर्चेंट बैंककार या इसके कर्मचारियों में से कोई, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, किसी सार्वजनिक रूप से पहुंचयोग्य मीडिया में किसी प्रतिभूति के बारे में कोई विनिधान सलाह, चाहे वास्तविक समय या अवास्तविक समय आधार पर नहीं देगा, जब तक कि इसके हित का प्रकटीकरण जिसमें उक्त प्रतिभूति में बिक्री से अधिक खरीद या खरीद से अधिक बिक्री सम्मिलित है न किया गया हो, ऐसी सलाह देते समय" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "मर्चेंट बैंकर या उसका कोई कर्मचारी किसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के बारे में आम जनता के लिए उपलब्ध मीडिया (फिर चाहे वह

रियल टाइम वाला हो या न हो) में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई निवेश संबंधी सलाह तब तक नहीं देगा, जब तक कि ऐसी सलाह देते समय उस प्रतिभूति में उसका जो हित हो उसकी जानकारी [डिस्क्लोज़र] (जिसमें उसकी लांग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन की जानकारी भी शामिल है) न दे दी जाए" आ जाएँगे ।

(ii) खंड (34) में, उप-खंड (ख) में शब्दों "उसकी हामीदारी संबंधी प्रतिबद्धता के बारे में गलत जानकारी मिलती हो" के स्थान पर शब्द "उसके द्वारा हामीदारी के संबंध में दिए गए वचन के बारे में गलत जानकारी मिलती हो" आ जाएँगे।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./727/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992, सं. एलई/11112/92 द्वारा, 22 दिसम्बर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 तत्पश्चात् –

   i. 7 सितम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. भाप्रविबो/एलई/1/9/95, द्वारा

   ii. 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा

   iii. 6 जून, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1996, सं. भाप्रविबो/एलई/III/5/96, द्वारा

   iv. 9 दिसम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 837 (अ), द्वारा

   v. 15 दिसम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 869 (अ), द्वारा

   vi. 21 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 74 (अ), द्वारा

   vii. 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 799 (अ), द्वारा

   viii. 17 नवम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 1119 (अ), द्वारा

   ix. 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278 (अ), द्वारा

x. 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा

xi. 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा

xii. 1 अक्तूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1154(अ), द्वारा

xiii. 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा

xiv. 18 अप्रैल, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 560(अ), द्वारा

xv. 3 मई, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 640(अ), द्वारा

xvi. 7 सितम्बर, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1448(अ), द्वारा

xvii. 28 मई, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2007, अधिसूचना सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2517, द्वारा

xviii. 31 मार्च, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा.सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा

xix. 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा

xx. 26 अगस्त, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471, द्वारा

xxi. 13 अप्रैल, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/04/1109, द्वारा

xxii. 19 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कुछ मध्यवर्तियों [इंटरमीडियरीज़] के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा

xxiii. 5 जुलाई, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/09/21233, द्वारा

xxiv. 16 अगस्त, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/17/26149, द्वारा

xxv. 29 मार्च, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/40/7335, द्वारा

xxvi. 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

xxvii. 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा

xxviii. 29 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038, द्वारा

xxix. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

xxx. 30 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम 2021, द्वारा

xxxi. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम 2021, द्वारा

xxxii. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2021, द्वारा

xxxiii. 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2023, द्वारा

xxxiv. 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम 2023, द्वारा

xxxv. 18 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम 2023, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th November, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(MERCHANT BANKERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

F. No. **SEBI/LAD-NRO/GN/2024/214**.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, namely, –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2024**.**

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, –

I. In regulation 6, -

(i) the words "for considering the grant of a certificate" appearing after the words "into account" shall be omitted;

(ii) the word "relating" appearing after the words "relevant to the activities" shall be substituted with the words "of a";

(iii) after the word "particular", the symbol and word ", whether" shall be inserted;

(iv) the existing clause (b) shall be substituted with the following, namely,-

"(b) the applicant has in its employment, a minimum of two persons who are professionally qualified in finance or law or accountancy or business management from a Government recognised university or institution or who have a recognised degree in finance or law or accountancy or business management from a foreign university or institution;"

(v) clause (g) shall stand omitted;

(vi) the word "his" appearing in clauses (aa), (b), (e) and (f) shall be substituted with the word "its".

II. In regulation 9A, in sub-regulation (1), -

(i) in clause (c), -

a. the word "adequate" appearing after the words "shall take" shall be substituted with the word "all";

b. the word "the" shall be inserted after the words "redressal of" and before the word "grievances";

c. the words and symbol "and keep the Board informed about the number, nature and other particulars of the complaints received" shall stand omitted;

(ii) clause (f) shall be substituted with the following clause, namely,-

"(f) it shall intimate the Board of the details of any change in information submitted while seeking registration within seven working days of such change."

III. In regulation 13A, -

(i) the words "he" and "his" appearing in non-obstante clause shall be substituted with the words "it" and "its" respectively;

(ii) the second proviso shall be substituted with the following proviso, namely,-

"Provided further that a merchant banker, that has been granted a certificate of registration under these regulations, shall ensure market making in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.";

(iii) in clause (ii) of the Explanation, the words, symbols and figures "section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)" shall be substituted with the words, symbols and figures "sub-section (72) of section 2 of the Companies Act, 2013".

IV. The existing regulation 20 shall be substituted with the following regulation, namely,-

"**Responsibility of the lead manager**.

20. No lead manager shall agree to manage or be associated with any issue unless its responsibilities relating to the issue particularly, those of disclosures, allotment and refund are clearly defined, allocated and determined and a statement specifying such responsibilities is disclosed in the draft offer document and offer document:

Provided that, where there is more than one lead merchant banker to the issue, the responsibilities of each of the lead merchant banker shall clearly be demarcated and a statement specifying such responsibilities shall be disclosed in the draft offer document and offer document."

V. In regulation 21A, -

(i) in the marginal heading, the words "as such for an" shall be substituted with the words "for its";

(ii) the existing sub-regulation (1), without the proviso and Explanation therein, shall be substituted by the following, namely, -

"A merchant banker, being a promoter or an associate of either the issuer of the securities or of a person making an offer to sell or purchase securities in terms of any of the regulations made by the Board, shall not lead manage any issue or be associated with any activity undertaken under any of the regulations made by the Board by such issuer or person:";

(iii) in the proviso to sub-regulation (1), the word "he" shall be substituted with the word "it";

(iv) in the Explanation under sub-regulation (1), -

a. the word "purposes" appearing after the words "For the" and before the words "of this regulation" shall be substituted with the word "purpose";

b. clause (iii) shall be substituted by the following clause, namely,

"(iii) there is a common director –

(a) in the issuer and the merchant banker; or

(b) in the issuer's subsidiary or holding company and the merchant banker:

Provided that this clause shall not be applicable where the director concerned is a nominee director:

Provided further that this clause shall not be applicable where the director concerned is an independent director subject to recusal by the said independent director in respect of the issue from the boards of both issuer and merchant banker."

VI. In regulation 22B, the existing sub-regulation (3) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,-

"(3) A merchant banker, if called upon, pursuant to an agreement for underwriting to subscribe to the securities of a body corporate, shall subscribe to the said securities prior to the finalisation of the basis of allotment."

VII. The existing regulation 27 shall be substituted with the following regulation, namely, -

"27. A merchant banker shall submit to the Board complete particulars of the transaction for acquisition of securities of a body corporate whose issue is managed by that merchant banker, within fifteen days from the date of entering into such a transaction:

Provided that complete particulars of a transaction for acquisition of securities pursuant to underwriting or market making obligations in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 shall be submitted to the Board on a quarterly basis."

VIII. In regulation 28, in sub-regulation (1),

(i) in clauses (i) and (v), the word “his” shall be substituted with the word “its”.

(ii) in clause (iii), the word “he” shall be substituted with the word “it”.

IX. In regulation 30, in sub-regulation (3), the word “his” shall be substituted with the word “its”.

X. In regulation 31,

(i) in sub-regulations (1), the word “his” appearing after the words “information relating to” and before the words “activities as a merchant banker”, shall be substituted with the word “its”.

(ii) in sub-regulation (2), the word “his” shall be substituted with the word “its”.

XI. In regulation 34, -

a. in the marginal heading, the word “the” shall be inserted after the word “of” and before the word “auditor”;

b. in the Explanation thereto, the words, symbols and figures “given in section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)” shall be substituted with the words, symbols and figures “provided in section 141 of the Companies Act, 2013”.

XII. In Schedule III,

(i) in clause (23), in sub-clause (a), the word “his” shall be substituted with the word “their”.

(ii) in clause (34), in sub-clause (b), the word “his” shall be substituted with the word “its”.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./727/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 was published in the Gazette of India on December 22, 1992 vide No. LE/11112/92.
2. The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 was amended-

i. on September 7, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1995 vide No. SEBI/LE/1/9/95;

ii. on November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E);

iii. on June 6, 1996 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers)Amendment Regulations, 1996 vide SEBI/LE/III/5/96;

iv. on December 9, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers)Amendment Regulations, 1997 vide No. S.O. 837 (E);

v. on December 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1997 vide No. S. O. 869(E);

vi. on January 21, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1998 vide No. S.O. 74 (E);

vii. on September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 799 (E);

viii. on November 17, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 1119 (E);

ix. on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 278 (E);

x. on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E);

xi. on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E);

xii. on October 1, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 1154(E);

xiii. on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E);

xiv. on April 18, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2006 vide No. S.O. 560 (E);

xv. on May 3,2006by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide No. S.O. 640 (E);

xvi. on September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide No. S.O. 1448 (E);

xvii. on May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2007 vide Notification No.11/LC/GN/2007/2517;

xviii. on March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669;

xix. on May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538;

xx. on August 26, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 vide Notification No. LAD/ NRO/GN/2009-10/15/174471;

xxi. on April 13, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/04/1109;

xxii. on April 19, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries)(Amendment) Regulations, 2011vide Notification No. LAD/ NRO/GN/ 2011-12/03/12650;

xxiii. on July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/09/21233;

xxiv. on August 16, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/17/26149;

xxv. on March 29, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers)(Amendment) Regulations, 2012vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/40/7335;

xxvi. on May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089;

xxvii. on December 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/ 2016-17/023;

xxviii. on March 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations,2017vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/38;

xxix. on April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India(Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10;

xxx. On March 30, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Banker) (Amendment) Regulations, 2021;

xxxi. on May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) (Regulations) 2021;

xxxii. on August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021;

xxxiii. on January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023;

xxxiv. on July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023;

xxxv. on August 18, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.